

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध मामला संख्या 25152

थाना से उत्पन्न कांड संख्या-51 वर्ष-2019 थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी

=====

मनोज कुमार सिंह, पिता- बदरी नारायण सिंह, निवासी- गाँव-खानगाँव, पुलिस थाना -
पंडौल, जिला- मधुबनी

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. ओम प्रकाश, पिता- श्री राम दिनेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य
निगम, घोघरडीहा, जिला- मधुबनी, गाँव के स्थायी निवासी-उमरेई बिगहा, पोस्ट-शाइस्ताबाद,
पुलिस थाना -ओकारी, जिला- जेहानाबाद

... .. विरोधी पक्ष।

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता
श्री रत्नाकर झा, अधिवक्ता
विरोधी पक्ष के लिए : श्री परमेश्वर मेहता, अ.लो.अ.
बिहार राज्य खाद्य निगम के लिए : श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- भारतीय दंड संहिता की धाराएं 406, 409, 420, 467, 471/34 और 120-बी
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7

संदर्भित मामले:

- नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2021) 19
एससीसी 401]

याचिका - उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई जिसके तहत उप मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत संज्ञान लिया गया है

माना गया - विवाद पूरी तरह से व्यावसायिक प्रकृति का था, जिसे आपराधिक रंग दिया गया था (पैरा 20)

एसडीपीओ ने जांच के बाद याचिकाकर्ता को संबंधित अपराध से मुक्त कर दिया, लेकिन केवल पर्यवेक्षण नोट के आधार पर, बिना किसी और सामग्री के, याचिकाकर्ता के खिलाफ परोक्ष मकसद से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। (पैरा 22)

अपने अधिकारियों को बचाने के गुप्त उद्देश्य से, सूचक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया और विशेष रूप से अनुरोध मामले में पारित मध्यस्थता पुरस्कार के मद्देनजर, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी संतुलन दिखाए गए हैं, ट्रायल कोर्ट के समक्ष वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना केवल कानून की अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। (पैरा 23)

याचिका को अनुमति दी जाती है। (पैरा 25)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री चंद्र शेखर झा

विचाराधीन निर्णय

तारीख: 03-03-2025

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री राणा विक्रम सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अ.लो.अ. श्री परमेश्वर मेहता को सुना गया, जिनकी सहायता ओ.पी. संख्या 2/बी.एस.एफ.सी. के विद्वान वकील श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने की।

2. वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 274/2023 में नवें/ तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा पारित दिनांक 15.12.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान विचरण न्यायालय ने विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर द्वारा पारित दिनांक 21.09.2023 के आदेश जिसके द्वारा विद्वान क्षेत्र दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता (संक्षेप

में 'भ. दं. सं. ') की धारा 409, 420 और 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत घोघरडीहा थाना कांड संख्या 51/2019 के संबंध में भ. दं. सं. की धारा 409/34 और ई.सी. एक्ट की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध में पंजीकृत कांड में संज्ञान लिया, की पुष्टि की है और याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है

3. अभियोजन पक्ष, संक्षेप में, कि राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक ओम प्रकाश (संक्षेप में "निगम") ने घोघरडीहा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष 09.05.2019 पर एक *फर्दबयान* दायर किया, जिसमें कहा गया कि 08.05.2019 पर, घोघरडीहा गोदाम से कस्टम मिल्ड राइस (संक्षेप में 'सीएमआर) से लदे सात ट्रकों लॉजिस्टिक ठेकेदार (प्रमुख) मनोज कुमार सिंह (याचिकाकर्ता) के प्रतिनिधि श्री कुमुद कुमार पांडे को सौंप दिया गया। यह भी कहा गया है कि 2350 कुंतल सीएमआर वजन वाले 4700 थैलों से लदे सभी सात ट्रकों को उस क्षेत्र में निगम के विभिन्न गोदामों को वितरित किया गया, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर वितरित नहीं किया गया। यह आगे कहा गया है कि लॉजिस्टिक ठेकेदार ने अपने प्रतिनिधि और चालकों की मिलीभगत से ढुलाई के दौरान सभी सीएमआर का गबन किया।

4. उपर्युक्त *फर्दबयान* के आधार पर, वर्तमान प्रथम सूचना प्रतिवेदन (संक्षेप में 'प्राथमिकी) याचिकाकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409/34 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए 2019 के घोघरडीहा पुलिस थाना मामला संख्या -51 दिनांक 09.05.2019 के रूप में दर्ज किया गया था।

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राणा विक्रम सिंह ने इस मामले पर बहस करते हुए कहा कि घटना के दिन यानी 08.05.2019 को याचिकाकर्ता अपने बेटे के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए बेंगलूर गया था और वह कथित घटना/घटना के बारे में पूरी तरह से अनजान था। यह समर्पित किया गया कि सूचक ने

याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना याचिकाकर्ता के कर्मचारी के साथ मिलकर खाद्यान्न (सीएमआर) की कथित खेप का दुरुपयोग किया और याचिकाकर्ता को खुद परिस्थितियों का शिकार बनाया। यह बताया गया है कि जब यह घटना याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि के संज्ञान में आई, तो वह तुरंत बेंगलुरु से वापस आ गए और अपने व्यक्तिगत स्तर पर जांच की। अपने प्रयास पर, याचिकाकर्ता ने सभी सात ट्रक और 1777 क्विंटल चावल बरामद किए, जिन्हें विभाग को सौंप दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद, जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने के बाद, आरोप पत्र संख्या -80/2019 दिनांक 31.07.2019 प्रस्तुत किया और इस याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए भेजा, जिससे वह घटना के अभियुक्तों में से एक बन गया।

6. श्री राणा विक्रम सिंह ने आगे कहा कि जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी ने भी मामले की जांच कराई और स्पष्ट रूप से कहा कि एक स्पष्ट साजिश थी जिसमें निगम के अधिकारी शामिल पाए गए थे और इसलिए, अधिकारियों के खिलाफ एक अलग एफ. आई. आर. भी दर्ज किया गया था और तदनुसार, निगम के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। यह निवेदन किया जाता है कि निगम द्वारा चावल की सुपुर्दगी लगभग रात 8 बजे यानी कार्य घंटों के बाद की गई थी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (संक्षेप में 'जी. पी. एस.') और ट्रैकिंग डिवाइस को बंद पाया गया, उसी के लिए, 2019 का घोघरडीहा पुलिस थाना मामला संख्या -130 भी गोदाम सहायक प्रबंधक, घोघरडीहा के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/409 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया था।

7. आगे यह भी समर्पित किया गया है कि घटना की जानकारी होने पर, जब याचिकाकर्ता 09.05.2019 को बेंगलुरु से वापस आया, तो उसने स्वयं अपने प्रबंधक और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया और अंततः याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 1459/2019 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे एक अवलोकन के साथ खारिज कर दिया गया है, जिसके आगे याचिकाकर्ता ने 19.11.2019

को निगम के अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 471/34 और 120-बी के तहत परिवाद मामला संख्या 653/2019 दायर किया, जहां जांच करने के बाद विद्वान क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट ने धारा 406 और 420 के तहत संज्ञान लिया। इस बीच, पुलिस ने जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के निर्देश पर गठित गोडाउन सहायक प्रबंधक, घोघरडीहा के विरुद्ध दिनांक 01.10.2019 को धारा 420/409 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 7 आर्थिक दंड संहिता अधिनियम के तहत दर्ज घोघरडीहा थाना कांड संख्या 130/2019 की जांच के बाद दिनांक 28.02.2020 को आरोप पत्र संख्या 27/2020 के माध्यम से अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया, जिस पर विद्वान निचली अदालत ने दिनांक 04.01.2024 को संज्ञान लिया।

8. यह निवेदन किया जाता है कि मुकदमों की सभी उपर्युक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की पत्नी अंजलि देवी ने फुलपरास के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व किया और 2019 के घोघरडीहा पुलिस थाना मामले के संबंध में पूरी सामग्री लाई। उक्त अभ्यावेदन पर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलपरास ने अभ्यावेदन में उठाए गए सभी बिंदुओं की पूछताछ की और 18.09.2021 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुलपरास ने स्पष्ट रूप से राय दी कि याचिकाकर्ता कथित घटना में शामिल नहीं था।

9. यह निवेदन किया जाता है कि आपराधिक मामले के अनुसार, निगम ने याचिकाकर्ता के खिलाफ समझौते को रद्द करने, काली सूची में डालने, बयाना राशि को जब्त करने, 20 लाख के बैंक गारंटी को भुनाने, 10 लाख की सुरक्षा (प्रतिभूति) राशि को जब्त करने और रूपए 4,23,22,442.50 के जुर्माने की वसूली के लिए लिए कार्रवाई की। उक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 2020 के अनुरोध मामले संख्या -69 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता और निगम के बीच विवाद को अपने दिनांक 03.02.2021 के आदेश के माध्यम से हल करने के लिए केरल उच्च

न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह को नियुक्त किया, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य खाद्य निगम के साथ विवाद का समाधान दिनांक 21.06.2022 के निर्णय के संदर्भ में किया गया था, जिसके द्वारा माननीय मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता के लगभग सभी दावों की अनुमति दी है।

10. यह भी निवेदन किया गया है कि उपरोक्त के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के जब्त ट्रकों को भी 9 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत से 12 लाख रुपये के बांड के विरुद्ध उसके पक्ष में रिहा कर दिया गया।

11. यह निवेदन किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या - 19036/2023 में दिनांक 25.04.2023 को पारित आदेश के मद्देनजर, जिसमें पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को मामले की तीन माह के भीतर जांच करने का निर्देश दिया गया था, इस मामले के अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने इस याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दी। ज जहां माननीय उप- मंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान ले लिया।

12. तर्क का समापन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता, श्री राणा विक्रम सिंह ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे में विवाद मुख्य रूप से मध्यस्थता द्वारा निर्देशित दिवानी प्रकृति का प्रतीत होता है और यह भी हल हुआ प्रतीत होता है और इसके अलावा, यह घटना इस याचिकाकर्ता के कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों की साजिश का परिणाम थी, जब याचिकाकर्ता बाहर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्य जांच के दौरान लगभग स्थापित हो गया था। यह भी बताया गया है कि प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा आपराधिक न्यायशास्त्र से परे है।

13. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि यह साजिश का मामला था। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक प्रतिवेदन पर भरोसा किया जैसा कि

निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2021) 19 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 401] के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने संज्ञान आदेश के खिलाफ संशोधन को प्राथमिकता दी, जिसे 2023 के आपराधिक संशोधन संख्या -274/2023 के रूप में दर्ज किया गया था और इसे 15.12.2023 पर भी खारिज कर दिया गया था, जो रद्द करने की याचिका के विवादित आदेशों में से एक है।

15. इसके विपरीत, श्री अनिल कुमार सिंह संख्या -1 ने निगम की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त सहायक लोक अभियोजक में उपर्युक्त रद्द करने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पांच लापता बरामद ट्रक, जिसे इस याचिकाकर्ता का स्वामित्व बताया गया था, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह इंगित किया जाता है कि यदि गोदाम से उठाए गए खाद्यान्न को अंततः संबंधित राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक नहीं पहुँचाया जाता है, तो यह सार्वजनिक खाद्यान्न के कालाबाजारी के बराबर है, जिसके लिए याचिकाकर्ता उत्तरदायी है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के बाद, सभी सात ट्रकों की जी. पी. एस. प्रणाली बंद पाई गई। हालांकि, उन्होंने गोदाम प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात मान ली। विद्वान परामर्शदाता (अधिवक्ता) इस तथ्य पर प्रस्तुतियों के अनुसार विवाद नहीं कर सके क्योंकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फुल फुलपरास ने जांच के बाद याचिकाकर्ता को संबंधित अपराध से बरी कर दिया और साथ ही वर्तमान घटना से संबंधित मूल मुद्दा एक वाणिज्यिक विवाद होने के कारण मध्यस्थता की कार्यवाही का विषय था।

16. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मामले को पटना उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 के अनुरोध मामले के तहत मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ाया गया था, जो इस याचिकाकर्ता के अनुरोध पर शुरू किया गया था, जहां केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री नवनीति प्रसाद सिंह को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

17. उक्त मध्यस्थता कार्यवाही के पैराग्राफ संख्या 20-30, 32 एवं 33 को उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:-

“20. अब जहां तक दावा संख्या 1, II, III एवं IV का संबंध है, हमें पहले तथ्यों को देखना होगा।

21. दावे नीचे उद्धृत हैं।

दावा संख्या I:

जिला प्रबंधक एसएफसी मधुबनी द्वारा जारी दिनांक 29.05.2019 को ब्लैकलिस्टिंग आदेश को शून्य एवं अमान्य घोषित करना

दावा संख्या II:

क. परिवहन-सह-हैंडलिंग बिल राशि रु. 14,087,354/- एवं 6,49,822/- (एमडीएम) के विरुद्ध बकाया बिल राशि का भुगतान।

ख. कटौती की गई राशि रु. 51,12,539/-

दावा संख्या III:

बयाना राशि रु. 1,05,49,539/- की वापसी

दावा संख्या - III :

रुपये 2,00,000.00 के बयाना राशि की वापसी।

दावा संख्या -IV :

बैंक गारंटी राशि 20,00,000/- रुपये और सुरक्षा राशि 10,00,000/- रुपये की वापसी।

22. यह विवाद नहीं है कि विभिन्न गोदामों में ले जाने के लिए दावेदार के 7 (सात) ट्रकों में 2350 कुंतल सीएमआर भरा गया था। समझौते के अनुसार, और वास्तव में, प्रत्येक ट्रक में एक जी. पी. एस. उपकरण लगाया गया था ताकि निगम द्वारा उनकी

आवाजाही पर नज़र रखी जा सके। यह भी एक तथ्य है कि निगम के नियमों का उल्लंघन करते हुए, इन ट्रकों को 8 के बाद लादा और भेजा गया था। 00 पी. एम. निगम के अधिकारियों द्वारा और भले ही कुछ समय बाद, जी. पी. एस. लोकेटर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अगले दिन लगभग शाम तक कोई तत्काल अलार्म नहीं बजाया गया था जब तक कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। पर्याप्त सबूत अभिलेख में लाने गए हैं और यह दिखाने के लिए विवादित नहीं किया गया है कि 08.05.2019 पर दावेदार अपने बेटे के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए बेंगलुरु में था। उसे 11.05.2019 पर लौटना था, लेकिन उपर्युक्त घटना के बारे में पता चलने पर वह 09.05.2019 पर ही वापस चला गया। मधुबनी पहुँचने पर, उन्होंने सात ट्रकों का पता लगाया और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पहले से ही स्थापित पुलिस मामले में ट्रकों को जब्त कर लिया गया। तब उन्होंने चालकों को गिरफ्तार करने और उसके बाद उक्त चावल की पर्याप्त मात्रा की बरामदगी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चावल की वसूली का तथ्य फिर से विवादित नहीं है और यह अनुलग्नक-8 से यह स्पष्ट है कि यह मधुबनी में निगम के जिला प्रबंधक का कार्यालय आदेश है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि 2350 में से 1777 क्विंटल चावल बरामद किया गया था। यह अभिलेख में लाया गया है कि जिला दंडाधिकारी, मधुबनी ने जांच की और अनुलग्नक-16 के अनुसार पाया गया। निगम के अधिकारियों की भागीदारी, और तदनुसार, अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई (अनुलग्नक-17), जिसे 2019 का घोघरडीहा मामला संख्या 130 दिनांक 01.10.2019 के रूप में दर्ज किया गया था।

23. मेरे विचार में, ये स्थापित तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हालाँकि अवैध कार्य दावेदार के प्रबंधक द्वारा किए गए थे, लेकिन दावेदार उन कृत्यों का हिस्सा नहीं था। यह सब उनकी जानकारी, सहमति या मिलीभगत के बिना किया गया था। दावेदार स्वयं परिस्थितियों का शिकार था। वह निगम के कुछ अधिकारियों और अपने ही लोगों के बीच आपराधिक साजिश का शिकार था और ऐसा होने पर, दावेदार से निगम को हुए नुकसान के दिवानी दायित्व की भरपाई के अलावा दंड के साथ मुलाकात नहीं की जा सकती है।

24. वास्तव में, मैं पाता हूँ कि दावेदार को यह नहीं पता था कि क्या हो रहा था और उसका इसमें कोई हिस्सा नहीं था, उसे पीड़ित नहीं किया जा सकता है और वह भी, उस हद तक जो किया गया है। इसी के आलोक में अब अन्य दावों पर निर्णय लिया जाना है।

25. अब मैं पहला दावा (दावा संख्या) लेता हूँ जो पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के जिला प्रबंधक द्वारा जारी दिनांकित 29.05.2019 काली सूची में डालने के आदेश के संबंध में है। मधुबनी में निगम की ओर से कहा गया है कि लापरवाही निर्विवाद होने के कारण काली सूची पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। काली सूची में शामिल होने का तात्पर्य एक दिवानी मृत्यु है, और इस मामले में, यह दावेदार की दिवानी मृत्यु के बराबर होगा जहाँ तक उसके परिवहन के पूरे व्यवसाय का संबंध है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। मेरे विचार में, जब तक यह निर्विवाद रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है कि दावेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लापरवाही में शामिल था और यह उसकी

जानकारी में था और उसकी सहमति और मिलीभगत से लापरवाही की गई थी, उसे काली सूची में डालने के माध्यम से दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि कुछ भी नहीं है, तो मैं पीयूष कुमार बनाम बिहार राज्य खाद्य और दिवानी आपूर्ति निगम के फैसले का उल्लेख कर सकता हूँ, जो पटना उच्च न्यायालय का एक फैसला है जो ऑल इंडिया रिपोर्टर 2019 पटना 204 में रिपोर्ट किया गया था। इस प्रकार, तथ्यों पर, जैसा कि पाया गया है, काली सूची के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, और तदनुसार, अनुलग्नक-2 में निहित 29.05.2019 दिनांकित आदेश को अवैध, अस्थिर और अप्रवर्तनीय माना जाता है, और इस तरह से रद्द कर दिया जाता है, और इसलिए, दावा से मेरा फैसला दावेदार के पक्ष में किया गया है।

26. ऊपर दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, 20 लाख रुपये की बैंक गारंटी और सुरक्षा मद की राशि रूपए 10 लाख की राशि की जब्ती के संबंध में दावा संख्या - III और IV को अस्थिर माना जाता है, और तदनुसार, यह माना जाता है कि निगम उत्तरदायी है और उसे अवार्ड की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर रूपए 32 लाख की राशि को वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

जिसमें विफल रहने पर, यह ज़ब्त की तारीख से धन वापसी की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के साथ वापस किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

27. अब मैं दावा संख्या-II पर आ सकता हूँ। जैसा कि अनुलग्नक-21 से स्पष्ट है कि मधुबनी में निगम के प्रबंधक का महाप्रबंधक (परिवहन), पटना में निगम के मुख्यालय को पत्र संख्या -1500 दिनांक 17.10.2019 (अनुलग्नक-21) होने के कारण, पर्याप्त

भुगतान करने के लिए पहले से ही मंजूरी दी गई थी, बिलों की जांच की गई थी और भुगतान के लिए पारित किया गया था, लेकिन इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि क्योंकि दावेदार ने समझौते के संदर्भ में उसे सौंपे गए 2350 क्विंटल सीएमआर का अवमूल्यन किया था, और इस प्रकार पूर्व निर्धारित परिसमापन नुकसान के रूप में जुर्माना देना पड़ा जो आर्थिक नुकसान का पांच गुना था। उक्त चावल की लागत का मूल्य। आर्थिक मूल्य रु. 3601.91 प्रति क्विंटल की दर से गणना 2350 क्विंटल x रु. 3601.91 होगी जो रुपये 84,64,488.50 के बराबर है और पाँच बार गुणा किया जाए तो यह रु 4,23,22,442.50 आएगा। जाहिर तौर पर, यह वह राशि है जिसे वसूली योग्य कहा जाता है, जो देय राशि से बहुत अधिक है। अनुलग्नक-21 के अनुसार देय राशि रु 1,39,81,573/- का आता है। इसी के बल पर निगम उपर्युक्त भुगतान से इनकार करता है। निगम, अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते के खंड 3 (डी) आर/डब्ल्यू खंड 17.3 पर निर्भर करता है और रुपये 4.23 करोड़ (लगभग) की इस जुर्माना वसूली के लिए दावा करता है।

28. मेरे विचार से इसका उत्तर सरल है। अनुबंध अधिनियम की धारा 73 और 74 के संदर्भ में, यदि हम उक्त दो खंडों यानी समझौते के खंड 3 (डी) और खंड 17.3 को पढ़ते हैं, तो खंड में एक दंड पर विचार किया गया है, और यह कि ऐसा होने के कारण, भले ही इसे परिसमापन क्षति के रूप में निर्धारित किया गया हो, यह एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह उस न्यायाधिकरण/न्यायालय के विवेकाधिकार का मामला होगा जिसके

समक्ष कोई विवाद लाया जाता है और यह अधिकतम निर्णय होगा।
 में सर्वोच्च न्यायालय के मामले फतेह चंद बनाम बालकृष्ण दास आल
 इंडिया रिपोर्टर 1963 सर्वोच्च न्यायालय 1405 पी. 11 और पी. आर.
 15 का उल्लेख कर सकता हूं। इसलिए, यह कहना कि यंत्रवत रूप से,
 चूक होने पर, निगम समझौते में निर्धारित दंड लगा सकता है और
 प्राप्त कर सकता है, कोई लाभ नहीं है। तथ्यात्मक रूप से भी गणना
 गलत है।

29. यह विवादित नहीं है कि 2350 क्विंटल सीएमआर में से
 1777 क्विंटल विधिवत बरामद किए गए थे। इसलिए, चावल की
 एकमात्र गैर-वसूली राशि वह है जो खो गई है जो 573 क्विंटल है
 और यदि इसे खोए हुए चावल माना जाता है, तो मुआवजा केवल
 रुपये 3601.91 की आर्थिक दर पर हो सकता है, जो रु. 20, 63,
 894.43 का आता है। इसलिए, निगम ने जो पहली गलती की है, वह
 यह है कि उसने वसूली को नजरअंदाज करते हुए पूरे 2350 क्विंटल
 चावल के लिए शुल्क लिया है, और इस प्रकार रुपया 84,64,488.50
 की गणना में आया।

30. मेरे विचार में, ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों
 को ध्यान में रखते हुए, दावेदार निगम को केवल Rs.20,63,894.43
 की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और यह केवल
 वही राशि है जिसे भुगतान के लिए स्वीकृत बिलों से काटा जा सकता
 है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जो अनुलग्नक-21 के
 अनुसार कुल रु. 1,39,81,573/- का आता है। इस प्रकार, जो राशि
 मुझे निगम द्वारा देय लगती है, वह र अनुलग्नक-21 में निर्दिष्ट बिलों
 के विपरीत रुपया 1,19,17,678.57 होगा , और मेरे विचार में, उन्हें

गलत तरीके से रोक दिया गया है। यह राशि दावेदार द्वारा पहले से किए गए कार्य के लिए अक्टूबर '2019 से देय था और निगम द्वारा इस राशि का आनन्द लेते रहा गया।

इसलिए, मेरे विचार में, दावेदार अक्टूबर, 2019 से भुगतान किए जाने की तारीखों तक बकाया बिलों (अनुलग्नक-21 के अनुसार) के संबंध में साधारण ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रुपये 1,19,17,678.57 की मूल राशि का हकदार होगा। यह दावेदार के पक्ष में दावा संख्या -II का प्रभावी ढंग से निपटान करता है और निगम के जवाबी दावे का ध्यान रखता है।

31. सुनवाई के दौरान दावेदार की ओर से यह तर्क दिया गया कि आकार के सात ट्कों को रिहा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह न्यायाधिकरण ऐसा कर सकता है। वे समाहर्ता , मधुबनी के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही का विषय हैं। दावेदार इस न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को देखते हुए उसे विमुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है, और दावेदार के विरुद्ध कोई गलत उद्देश्य नहीं दिखता है, , कोई प्रबल कारण नहीं है। इस लिए विद्वान समाहर्ता रिहाई आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं और जल्द से जल्द उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

32. इस प्रकार, कुल मिलाकर, दावेदार निगम के विरुद्ध निम्नलिखित राहत का हकदार है और उसे प्रदान किया जाता है:

i) काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(ii) रुपये 2,00,000.00 की अर्जित बकाया राशि की वापसी, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज सहित।

(iii) रुपए 20,00,000.00 की बैंक गारंटी की वापसी, जिसे भुगतान किया गया था, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज सहित।

(iv) रुपये 10,00,000.00 की सुरक्षा राशि की वापसी , न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज सहित।

(v) रुपये 1,19,17,678.57 का भुगतान प्राप्त करना, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज सहित, जो बकाया बिलों के रूप में देय है।

33. तदनुसार, दावों का निर्णय लिया जाता है और उनकी अनुमति दी जाती है।

34. पक्षकार कार्यवाही के लिए अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे, लेकिन उत्तरदाता-निगम के हिस्से के रूप में रु० 9,70,000-मध्यस्थ शुल्क के रूप में, दावेदार द्वारा भुगतान किया गया है, दावेदार इसके लिए हकदार है और इसे निगम से लागत के रूप में भी प्रदान किया जाता है।

35. पुरस्कार तीन प्रकार में तैयार किया जाता है। चूंकि प्रत्येक पक्ष ने रुपये के स्टाम्प पेपर (गैर-न्यायिक) की आपूर्ति की है। 2, 000/- (केवल दो हजार रुपये) पुरस्कार की दो प्रतियां तैयार की जाती हैं और संबंधित पक्षों के लिए उन संबंधित स्टाम्प पेपरों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और तीसरा विधिवत हस्ताक्षरित अभिलेख के लिए होता है।

18. मध्यस्थता कार्यवाही के उपर्युक्त पैराग्राफ-31 से यह प्रतीत होता है कि दावेदार इस न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के मद्देनजर वाहन की रिहाई के लिए आवेदन कर

सकता है, और यदि दावेदार की ओर से कोई मनःस्थिति नहीं है, तो विद्वान कलेक्टर सहानुभूतिपूर्वक वहां रिहाई के आवेदन पर विचार कर सकते हैं और जल्द से जल्द उचित आदेश पारित करें। परिणामस्वरूप, मामला जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी के समक्ष लाया गया, जिन्होंने याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 29.11.2022 के आदेश के तहत सभी सात ट्रकों को जब्त करने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 73/2022 के तहत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 17.01.2023 के आदेश के तहत जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी द्वारा पारित दिनांक 29.11.2022 के आदेश को अपास्त कर दिया गया तथा सभी सात ट्रकों को अपीलकर्ता/दावेदार के पक्ष में छोड़ दिया गया। दावेदार के पक्ष में उक्त ट्रक को छोड़ने से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि दावेदार की ओर से कोई मंशा नहीं थी, जो कि इस तरह के आवेदन पर विचार करने के लिए एक पूर्व शर्त थी, जैसा कि अनुरोध मामला संख्या 69/2020 से उत्पन्न दिनांक 21 जून, 2022 के मध्यस्थता निर्णय के माध्यम से देखा गया।

19. मध्यस्थ निर्णय का संदर्भ लेते हुए, श्री राणा विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया कि चूंकि निगम को 1,19,17,687.57 रुपये ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया गया था और सुरक्षा राशि, बैंक गारंटी और बयाना राशि भी वापस करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए ब्लैक-लिस्टिंग आदेश को भी रद्द कर दिया गया था, बीएसएफसी इस मामले को अप्रत्यक्ष और गुप्त उद्देश्य से आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता साजिशकर्ता था।

20. इस मुद्दे पर विवाद विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक प्रकृति का था, जिसे अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए आपराधिक रंग दिया गया था, जिन्हें 2019 के घोघरडीहा पुलिस थाना मामले में आरोपी बनाया गया था, जहां जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी सूचक थे।

21. यह उचित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक रिपोर्ट के पैरा संख्या 12.4 और 57 को, जैसा कि निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र

राज्य [(2021) 19 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 401] के मामले में उपलब्ध है, पुनः प्रस्तुत किया जाए। इसके अंतर्गतः.

“12.4 हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप (1) सर्वोच्च न्यायालय के मामले 335 में, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि असाधारण मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराध की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी देखा गया है कि एक नियमित मामले में जहां किसी अपराध या अपराध की जानकारी दर्ज की गई है, जांच शुरू की गई है, तलाशी और जव्ती का पालन किया गया है और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, मौखिक आवेदनों और मौखिक अपीलों की असामान्य प्रक्रिया का सहारा लेना और उस पर अंतरिम रोक का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक कर्तव्य का पालन करने वाले जांच अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच में हस्तक्षेप करने और रोक लगाने का प्रभाव होगा।

57. इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों से और **ख्वाजा नजीर अहमद** के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से (उपर), कानून के निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:

i) पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया घजाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

(iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (धारा 482 करोड़ रुपये के तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामले मानक हैं। पी. सी. को उस मानदंड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए जो मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है);

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) किसी शिकायत/प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है। पी. सी

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहाँ गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी मर्जी या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्राथमिकी एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो अदालत को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जोखिमपूर्ण तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/ प्राथमिकी जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई सार नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है जिस पर विद्वान दंडाधिकारी द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

xiii) धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक भारी और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है;

xiv) तथापि, उसी समय, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आर. पी. कपूर (ऊपर) और भजन लाल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को देखते हुए, प्राथमिकी/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है; और

xv) जब कथित आरोपी द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है, तो अदालत को धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल इस बात पर विचार करना होता है कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं और उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आरोप संज्ञेय अपराध हैं या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है।

22. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, चूंकि एसडीपीओ फुलपरास ने जांच के बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 18.09.2021 को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से विचाराधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन केवल पर्यवेक्षण नोट के आधार पर, कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अप्रत्यक्ष उद्देश्य से आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया था, क्योंकि उनके अनुनय-विनय पर, डीएम मधुबनी ने *प्रथम दृष्टया* तथ्य सही पाते हुए, बीएसएफसी के पदाधिकारियों के विरुद्ध घोघरडीहा थाना कांड संख्या 130/2019 दर्ज किया था। यह भी प्रतीत होता है कि मामला पक्षों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से प्रभावी ढंग से तय किया गया था, क्योंकि यह एक वाणिज्यिक विवाद था, जहां बीएसएफसी के सभी आदेशों को खारिज कर दिया गया था और याचिकाकर्ता को 1,19,17,687.57 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

23. इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अपने स्वयं के अधिकारियों को बचाने के लिए अप्रत्यक्ष और गुप्त उद्देश्य से, बीएसएफसी/सूचनाकर्ता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया और विशेष रूप से, अनुरोध केस संख्या 69/2020 में पारित मध्यस्थता पुरस्कार के मद्देनजर, जहां पक्षकारों के बीच सभी मुद्दे सुलझाए गए प्रतीत होते हैं, याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी

संतुलन दिखाते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना केवल कानून की अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

24. तदनुसार, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 274/2023 में नवें/तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी द्वारा पारित दिनांक 15.12.2023 के आदेश के साथ-साथ घोघरडीहा पी.एस. कांड संख्या 51/2019 के संबंध में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, झंझारपुर द्वारा पारित दिनांक 21.09.2023 के संज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है तथा उपरोक्त याचिकाकर्ता के संबंध में अपास्त किया जाता है।

25. तदनुसार, आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

26. इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को तत्काल भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।